

न्यायालय विद्युत उपभोक्ता व्यथा निवारण फोरम आजमगढ़ परिक्षेत्र, आजमगढ़।

पत्रांक: 2018/वि0उप0व्य0नि0फो0आ0/2020

दिनांक: 16/10/2020

नोटिस

श्री लालमुनि यादव पुत्र बाढू यादव, ग्राम-बनामे, पोस्ट-बिसहम, थाना-गम्भीरपूर्व,
जनपद-आजमगढ़।.....परिवादी

बनाम

अधिशाली अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड (तृतीय), लालगंज, आजमगढ़।.....विपक्षी

परिवादी (श्री लालमुनि यादव पुत्र बाढू यादव) आपको एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि आपके प्रार्थनापत्र पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आप स्वयं या किसी अधिकृत व्यक्ति के द्वारा न्यायालय में दिनांक 23.10.2020 को इस फोरम में उपस्थित होकर अपना साक्ष्य सहित लिखित रूप से अपना पक्ष प्रस्तुत करें।

विपक्षी (अधिशाली अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-(तृतीय), लालगंज, आजमगढ़) को इस संबंध में विद्युत शिकायत के संबंध में स्वयं या किसी विज्ञ अधिवक्ता द्वारा इस फोरम में दिनांक 23.10.2020 को पूर्वाचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, की ओर से अपना पक्ष प्रस्तुत करें। अन्यथा उपस्थित न होने पर एक पक्षीय कार्यवाही आदेश पारित कर दिया जायेगा।

आज दिनांक 16.10.2020 न्यायालय द्वारा नोटिस जारी किया गया है।

संलग्नक:- परिवाद-पत्र की फोटो कापी।

दिनांक: 16.10.2020



आज्ञा से,
विद्युत उपभोक्ता व्यथा निवारण फोरम,
आजमगढ़ (उ0प्र0)।

प्राप्त/विद्युत

लालमुनि यादव

Handwritten signature and initials in blue ink.